/

मेसर्स वैष्णो एंटरप्राइजेज बनाम.

हैमिल्टन मेडिकल एजी और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 1892) 24 मार्च, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 -एस. 18 और एस.2(एन) आर/डब्ल्यू एस। 8 – अपीलार्थी के बीच अनुबंध/समझौता-विदेशी चिकित्सा उपकरण कंपनियों को परामर्श सेवाओं में लगी एक फर्म, और प्रतिवादी संख्या 1-स्विट्जरलैंड के कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी, जिसका कार्यालय स्विट्जरलैंड में है और जो महत्वपूर्ण देखभाल वेंटिलेशन समाधानों के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है-अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या के बीच विवाद। 1 – विवाद पर विचार करने के लिए सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम सुविधा परिषद का अधिकार क्षेत्र-आयोजितःतथ्यों पर, प्रश्न अनुबंध/समझौते के संदर्भ में, पक्षकार उस समय प्रचलित/लागू भारत के कानूनों द्वारा शासित थे जब अनुबंध निष्पादित किया गया था-जब अनुबंध/समझौता किया गया था, तो अपीलकर्ता एक पंजीकृत एमएसएमई नहीं था-अपीलकर्ता को अनुबंध/समझौते के निष्पादन के बाद ही एमएसएमई के रूप में पंजीकृत किया गया था-इसलिए पक्षकार एमएसएमई अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे-सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम सुविधा परिषद, इस प्रकार, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।1, यू/एस शक्तियों के प्रयोग में।18 एमएसएमई अधिनियम।

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

/

अभिनिर्धारित किया **:1.1.**पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध/समझौते के संदर्भ में**,** अनुबंध/समझौते के समय लागू भारत के कानून लागू होंगे और इसलिए पक्षकार उस समय प्रचलित/लागू भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे जब अनुबंध निष्पादित किया गया था।**[**पैरा **8.2] [778-ई-**एफ**] 1.2**।यह माना जाता है कि जिस तारीख को अनुबंध/समझौता निष्पादित किया गया था**,** यानी **24.08.2020** पर अपीलार्थी एमएसएमई पंजीकृत नहीं था।

एमएसएमई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना, विशेष रूप से धारा ए के साथ पठित धारा **2 (**एन**)**

/

/

771

772 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

8 एमएसएमई अधिनियम के प्रावधान उस आपूर्तिकर्ता के मामले में लागू होंगे जिसने धारा **8** की उप**-**धारा **(1)** में निर्दिष्ट प्राधिकरण के साथ एक ज्ञापन दायर किया है।इसलिए**,** आपूर्तिकर्ता को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत एक सूक्ष्म या छोटा उद्यम होना चाहिए**,** जो एमएसएमई अधिनियम की धारा **8** की उप**-**धारा **(1)** और धारा **2 (**एन**)** में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यह माना जाता है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी केवल **28.08.2020** पर ही एमएसएमई के रूप में पंजीकृत है।इसलिए**,** जब अनुबंध किया गया था तो अपीलकर्ता एमएसएमई नहीं था और इसलिए पक्ष एमएसएमई अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे और पक्ष अनुबंध के निष्पादन के समय लागू और/या प्रचलित भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे।यदि ऐसा है तो परिषद के पास अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।**1,** एमएसएमई अधिनियम की धारा **18** के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करना। इसलिए**,** मामले के उपरोक्त विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में**,** विशेष रूप से समझौते की शर्तों में**,** उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें कहा गया है कि परिषद को प्रतिवादी संख्या **1** के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा**,** में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।**[**पैरा **8.2] [778-**एफ**-**एच**;** **779-**ए**-**बी**]**

/

/

/

2. हालांकि**,** इसके साथ ही बड़ा सवाल/मुद्दा यह है कि क्या ऐसे मामले में जहां खरीदार भारत से बाहर स्थित है**,** लेकिन उसने भारत में सेवाओं का लाभ उठाया है और/या भारतीय आपूर्तिकर्ता के साथ भारत में व्यवसाय किया है और अनुबंध भारत में निष्पादित किया गया था**,** एमएसएमई अधिनियम लागू होगा या नहीं और/या एक और बड़ा मुद्दा यह है कि यदि आपूर्तिकर्ता बाद में एमएसएमई के रूप में पंजीकृत है तो परिषद के अधिकार क्षेत्र को अभी भी एमएसएमई अधिनियम की धारा **18** के साथ**-**साथ धारा **8** और प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न

होने वाले मैसर्स शिल्पी इंडस्ट्रीज मामले में इस न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए उचित मामले में विचार करने के लिए खुला रखा जाएगा।

/

/

एम**.** एस**.** एम**.** ई**.** अधिनियम और शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड का मामला जिसमें

लघु और सहायक उद्योग उपक्रम अधिनियम**, 1993** के अंतर्गत इसी तरह का प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।**[**पैरा **8.3] [779-**बी**-**ई**]**

/

मेसर्स शिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल राज्य सड़क परिवहन

निगम, 2021 का सी. ए. No.1570-78 [2021 एससीसी

ऑनलाइन एससी **439]** और शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम**.**असम राज्य विद्युत बोर्ड**, (2019) 19** एससीसी **529**

/

– संदर्भित किया गया।

773

मेसर्स वैष्णो एंटरप्राइजेज बनाम हैमिल्टन मेडिकल एजी एंड ए. एन. आर.

/

संदर्भित निर्णय

(2019) 19 एस**.** सी**.** सी**. 529**

संदर्भित

पैरा **8.3**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील सं. 1892।

2021 की रिट अपील No.201 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.08.2021 के निर्णय और आदेश से।एम. श्रीनिवास आर. राव, शरत एस. जनार्दनन, आबिद अली बीरन पी., अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

श्याम दीवान, नकुल दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अतुल नागराजन, अंकित आनंदराज शाह, रजत गौतम, सुश्री पल्लवी, अजय खन्ना, सौरभ राजपाल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 2021 की रिट अपील संख्या 201 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, जिसमें सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम सुविधा परिषद (जिसे इसके बाद 'परिषद' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा जारी दिनांकित सूचना-सह-सूचना और दिनांकित सूचना-सह-सूचना को रद्द कर दिया गया है।2. कि अपीलार्थी एक पंजीकृत साझेदारी सलाहकार है जो वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए अस्पतालों और सरकारी विभागों और संस्थाओं के साथ संपर्क सेवाओं के रूप में विदेशी चिकित्सा उपकरण कंपनियों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।वह प्रतिवादी संख्या 1 स्विट्जरलैंड के कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका कार्यालय बोनाडुज़, स्विट्जरलैंड में है और यह दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के रोगी खंडों, अनुप्रयोगों और वातावरण के लिए महत्वपूर्ण देखभाल वेंटिलेशन समाधानों का निर्माता और आपूर्तिकर्ता है।प्रत्यर्थी के अनुसार, इसके अपने सलाहकार हैं, जो भारत में लगे हुए हैं, जो अपने उपकरणों की स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं और संबंधित सहायक कार्य करते हैं।कि अपीलार्थी, जो परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है, प्रत्यर्थी-कंपनी से संपर्क किया और भारत में अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कंपनी के साथ जुड़ने का अनुरोध किया।एक एच. एल. एल. इन्फ्रा-टेक सर्विसेज लिमिटेड, एक नोडल एजेंसी

/

/

/

/

/

774

/

[2022] 1 एस सी आर।

/

भारत सरकार ने पूरे भारत के विभिन्न अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों/विभागों को आपूर्ति किए जाने वाले 1186 उच्च श्रेणी के वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद/खरीद के लिए दिनांक 20.08.2018 पर एक निविदा जारी की।प्रत्यर्थी ने अपने अधिकृत स्थानीय एजेंट, मेसर्स मेडेलेक हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के माध्यम से अपनी बोली की पेशकश करके उक्त निविदा में भी भाग लिया।यह निविदा उक्त मेडेलेक सॉल्यूशंस के पक्ष में दी गई थी।कि इसके बाद अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने छह महीने की सीमित अवधि के साथ एक परामर्श समझौता किया, इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कि अपीलार्थी इसमें प्रत्यर्थी-कंपनी के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।कि इसके बाद अपीलार्थी ने कुछ राशियों का दावा करते हुए विभिन्न चालान जुटाए।यही आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी द्वारा भुगतान किया गया था।यह कि पहले का परामर्श समझौता दिनांक 10.02.2020 10.08.2020 पर समाप्त हो गया था, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने छह महीने की अवधि के लिए 24.08.2020 पर एक नया परामर्श समझौता किया।कि इसमें अपीलकर्ता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (इसके बाद 'एमएसएमई अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत 28.08.2020 पर पंजीकृत हुआ।इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया।अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.09.2020 का एक कानूनी नोटिस भेजा गया था जिसमें प्रत्यर्थी को दिनांक 22.06.2020 के चालान संख्या 5 और दिनांक 07.09.2020 के चालान संख्या 6 द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान करने और एक दूसरे को Rs.50 लाख के हर्जाने के साथ भुगतान करने के लिए कहा गया था।उक्त नोटिस में, अपीलकर्ताओं ने सूचित किया कि यह एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत था। प्रत्यर्थी ने 22.10.2020 दिनांकित समाप्ति पत्र के माध्यम से 24.08.2020 दिनांकित परामर्श समझौते को समाप्त कर दिया।कि इसमें अपीलार्थी ने समाप्ति सूचना का जवाब दिनांक 16.11.2020 के जवाब के माध्यम से दिया।जैसे ही पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, अपीलार्थी ने 22.10.2020 पर परिषद से संपर्क किया, जो मामला संदर्भ No.1581/MSEFC/2020 के रूप में दर्ज किया गया था।अपीलार्थी ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना कीः

/

/

/

/

/

(क) कि विरोधी पक्ष याचिकाकर्ता को 711,845 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि रुपये 5,21,85,357/- के बराबर है।

(ख) कि विरोधी पक्ष याचिकाकर्ता को 104,205 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 76,26,073-चालान संख्या 6 दिनांकित 7.9.2020 की ओर,

/

(ग) कि विरोधी पक्ष द्वारा जारी किया गया समाप्ति पत्र अवैध, अमान्य और दिनांकित परामर्श समझौते की शर्तों के विपरीत है।

/

775

मेसर्स वैष्णो एंटरप्राइजेज बनाम हैमिल्टन मेडिकल एजी एंड ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

(घ) कि विरोधी पक्ष याचिकाकर्ता को 304,964 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि दिनांक 1158 वेंटिलेटरों के संबंध में देय शेष 25 प्रतिशत कमीशन के लिए, दिनांक 1158 वेंटीलेटरों के संबंध में देय प्रोफॉर्मा चालान के लिए 304,964 रुपये, 910 रुपये के बराबर है।

(ई) कि विरोधी पक्ष भुगतान की तारीख तक इस आवेदन के प्रपत्र-I में उल्लिखित एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार याचिकाकर्ता को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। "

/

3. 22.10.2020 पर ही परिषद द्वारा प्रत्यर्थी को एक सूचना भेजी गई थी।उक्त सूचना की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी ने परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र संबोधित किया और तर्क दिया कि वे एक ऐसी कंपनी हैं जो स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसलिए एमएसएमई अधिनियम देश के बाहर स्थित कंपनियों पर लागू नहीं होगा।यह भी कहा गया था कि प्रत्यर्थी का भारत में कोई कार्यालय नहीं है, विशेष रूप से नई दिल्ली में, जैसा कि शिकायत/नोटिस में उल्लेख किया गया है। 04.11.2020 पर परिषद ने उत्तरदाता को बचाव के बयान के लिए फॉर्म 2 नोटिस भेजा। परिषद द्वारा 12.11.2020 दिनांकित एक और नोटिस भेजा गया था।इसके बाद प्रतिवादी को एक सुलह बैठक दिनांक 23.11.2020 के लिए एक नोटिस दिया गया और बैठक 28.11.2020 पर निर्धारित की गई।इसके बाद प्रतिवादी ने उपरोक्त नोटिसों की वैधता और वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की रिट याचिका संख्या 21623 दायर की।दिनांक 20.04.2021 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात और परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिसों को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि परिषद के पास पक्षों के बीच विवाद को हल करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कि इसमें अपीलार्थी ने डिवीजन बेंच के समक्ष 2020 की रिट अपील संख्या 201 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है।डिवीजन बेंच द्वारा पारित आक्षेपित

निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ दोनों ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि परिषद को अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

/

/

/

/

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, दोनों, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि वर्तमान मामले में

/

आपूर्तिकर्ता भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर था, एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 को देखते हुए, परिषद के पास अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता के बीच विवाद को स्वीकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार पक्षों के बीच दिनांकित प्रारंभिक समझौता दिल्ली में निष्पादित किया गया था, दिनांकित दूसरा समझौता नई दिल्ली में भी निष्पादित किया गया था और सेवाएं भारत में अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई थीं और यहां तक कि प्रतिवादी भी नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर में अपने पंजीकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से भारत में अपना व्यवसाय कर रहा था और उसने अपनी ओर से कार्य करने के लिए दिल्ली में स्थित एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक/विशेष एजेंट नियुक्त किया था, और इसलिए कार्रवाई का कारण भारत में उत्पन्न हुआ कहा जा सकता है और कार्रवाई का कोई भी कारण स्विट्जरलैंड में उत्पन्न नहीं हुआ है, परिषद अपीलार्थी द्वारा दायर दावे याचिका पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र में निहित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी ने एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत विवाद को हल करने के लिए परिषद से संपर्क किया और परिषद ने एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत निहित अधिकार क्षेत्र को ग्रहण किया।

/

/

4.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, विकास और उससे संबंधित आनुषंगिक और सहायक मामलों को हल करने के लिए अधिनियमित एक लाभकारी कानून के रूप में एमएसएमई अधिनियम के रूप में मानते हुए, उच्च न्यायालय को परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था और प्रत्यर्थी संख्या 1-मूल रिट याचिकाकर्ता को सुलह के लिए परिषद के समक्ष उपस्थित होने के लिए और उसके बाद मध्यस्थता के लिए विफलता पर और क्षेत्राधिकार के संबंध में मुद्दे को मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाना चाहिए था।

/

/

/

5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच विवाद के संबंध में परिषद को एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 1. 1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने हमें एमएसएमई अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत विभिन्न परिभाषाओं, विशेष रूप से "खरीदार" और "आपूर्तिकर्ता" की परिभाषा पर ले गए हैं।वह हमें एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 पर भी ले गए हैं।

/

5.2 उपरोक्त प्रावधानों पर भरोसा करते हुए ए की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने इसे जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है।

/

777

मेसर्स वैष्णो एंटरप्राइजेज बनाम हैमिल्टन मेडिकल एजी एंड ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रत्यर्थी संख्या 1 कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1-खरीदार का स्विट्जरलैंड में पंजीकृत कार्यालय है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांकित 10.02.2020 और 24.08.2020 दोनों समझौतों में उल्लिखित प्रतिवादी संख्या 1 का पता भी स्विट्जरलैंड है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1-

खरीदार भारत के बाहर स्थित होने के कारण, परिषद को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

/

5.3 उत्तरदाता संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने आगे यह प्रस्तुत किया कि अन्यथा मध्यस्थता समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने पर भी समझौते के पक्षकार एमएसएमई अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अनुबंध की तारीख 24.08.2020 थी।इसमें अपीलकर्ता 28.08.2020 पर एमएसएमई के रूप में पंजीकृत है अर्थात 24.08.2020 पर अनुबंध के निष्पादन के बाद।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता समझौते के अनुसार पक्ष भारत में लागू विधि द्वारा शासित होंगे जो अनुबंध के निष्पादन के समय प्रचलित विधि होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस कारण से भी पक्षकार एमएसएमई अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे और इसलिए परिषद के पास अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

/

/

6. प्रत्युत्तर में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि विवाद बाद में उत्पन्न हुआ अर्थात 28.08.2020 के बाद और इसलिए जब विवाद उत्पन्न हुआ तो अपीलार्थी पंजीकृत एमएसएमई था और इसलिए, अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच विवाद के लिए जो 28.08.2020 के बाद उत्पन्न हुआ है, परिषद के पास अधिकार क्षेत्र होगा।

/

7. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना।8. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद के संबंध में एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत परिषद का अधिकार क्षेत्र है।

/

8.1 प्रत्यर्थी संख्या 1-खरीदार की ओर से यह मामला था कि प्रत्यर्थी संख्या 1-खरीदार भारत के बाहर स्थित है और उसका पंजीकृत कार्यालय स्विट्जरलैंड में है, इसलिए परिषद के पास अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद में प्रवेश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।दूसरी ओर, अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि दिल्ली में पक्षों के बीच समझौतों का निष्पादन किया गया था और सेवाएं भारत में अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई थीं और यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 1 भी

/

नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर में पंजीकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से भारत में अपना व्यवसाय करना और इसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी/विशेष एजेंट नियुक्त किया था जो दिल्ली में स्थित है, और अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाने और भारत में व्यवसाय करने के बाद, इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच विवाद के संबंध में, परिषद के पास एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। हालांकि, मुख्य मुद्दे पर विचार करते समय कि क्या पक्ष एमएसएमई अधिनियम द्वारा शासित होंगे या नहीं, समझौते के अंतर्गत प्रासंगिक खंड पर विचार करने की आवश्यकता है जो नीचे दिया गया हैः

/

“9. विधि का चुनाव इस समझौते और इसके तहत पक्षों के अधिकारों को भारत के विधि ों के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा।पक्ष अपने मतभेदों, विवादों, यदि कोई हो, को विवाद की शुरुआत के 30 दिनों के भीतर पारस्परिक रूप से हल करने के लिए सहमत हैं, जिसे यदि आवश्यक हो तो पक्षों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।यदि पक्ष उक्त आपसी बातचीत के माध्यम से मतभेदों को हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो वे विधि के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। "

/

/

यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध/समझौते को 24.08.2020 पर निष्पादित किया गया है।इसलिए, अनुबंध/समझौते के समय लागू भारत के कानून लागू होंगे और इसलिए पक्ष उस समय प्रचलित/लागू भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे जब अनुबंध निष्पादित किया गया था।यह माना जाता है कि जिस तारीख को अनुबंध/समझौता निष्पादित किया गया था, यानी 24.08.2020 पर अपीलार्थी एमएसएमई पंजीकृत नहीं था। एमएसएमई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से एमएसएमई अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 2 (एन), एमएसएमई अधिनियम के प्रावधान उस आपूर्तिकर्ता के मामले में लागू होंगे जिसने धारा 8 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के साथ एक ज्ञापन दायर किया है।इसलिए, आपूर्तिकर्ता को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत एक सूक्ष्म या छोटा उद्यम होना चाहिए, जो एमएसएमई अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 2

(एन) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यह माना जाता है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी केवल 28.08.2020 पर ही एमएसएमई के रूप में पंजीकृत है। इसलिए, जब अनुबंध में प्रवेश किया गया था तो अपीलकर्ता एमएसएमई नहीं था और इसलिए पक्षकार एमएसएमई अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे और पक्षकार भारत के लागू कानूनों और/या ए के समय प्रचलित कानूनों द्वारा शासित होंगे।

/

/

/

/

779

मेसर्स वैष्णो एंटरप्राइजेज बनाम हैमिल्टन मेडिकल एजी एंड ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अनुबंध का निष्पादन।यदि ऐसा है तो परिषद के पास अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।1, एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करना। इसलिए, मामले के उपरोक्त विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से समझौते की शर्तों में, डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जिसमें कहा गया है कि परिषद को प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

/

8.3.हालांकि, इसके साथ ही एक बड़ा सवाल/मुद्दा यह है कि क्या ऐसे मामले में जहां खरीदार भारत से बाहर स्थित है, लेकिन उसने भारत में सेवाओं का लाभ उठाया है और/या भारतीय आपूर्तिकर्ता के साथ भारत में व्यवसाय किया है और अनुबंध भारत में निष्पादित किया गया था, एमएसएमई अधिनियम लागू होगा या नहीं और/या एक और बड़ा मुद्दा यह है कि यदि आपूर्तिकर्ता बाद में एमएसएमई के रूप में पंजीकृत है तो परिषद के अधिकार क्षेत्र को अभी भी एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 के साथ-साथ धारा 8 और एमएसएमई अधिनियम के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त मामले में विचार करने के लिए खुला रखा जाएगा।

/

मैसर्स शिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम के मामले में यह न्यायालय । केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, 2021 का सी. ए. No.1570-78 [2021 एस. सी. सी.]

/

ऑनलाइन एससी **439]** एमएसएमई अधिनियम और शांति के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न होता है

कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। असम राज्य विद्युत बोर्ड**, (2019)**

19 एस. सी. सी. 529 जिस मामले में लघु और सहायक उद्योग उपक्रम अधिनियम, 1993 के अंतर्गत एक समान प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था।

/

9. उपरोक्त को ध्यान अंतर्गत रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए, हम डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए अंतिम निष्कर्ष से सहमत हैं कि विवाद के संबंध अंतर्गत अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1 परिषद के पास एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इन परिस्थितियों अंतर्गत , वर्तमान अपील खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

/

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

याचिका खारिज कर दी गई।

/